# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / रसद / 34 / 2017

लक्ष्मण प्रसाद उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत घुस्यारी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

..... अपीलान्ट

**बनाम**

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर .....रेस्पो0

प्रथम अपील विरुद्व आज्ञा जिला रसद अधिकारी,प्रथम भरतपुर दिनांक 03–03–2017 प्रकरण संख्या 03 / 17 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण प्रसाद

उपस्थितिः–

1–रमनलाल मित्त्ल ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

**निर्णय**

**दिनांक 14.08.2019**

अपीलान्ट ने यह अपील निर्णय जिला रसद अधिकारी खिलाफ कानून व रिकॉर्ड के विपरीत है जो काबिल निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट के खिलाफ दो आरोप लगाये थे जो यांत्रिक मशीन के आधार पर बताये गये हैं इन दोनों आरोपों का समुचित उत्तर पेश किया था, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट द्वारा पेश किये गये जबाव पर गौर नहीं किया है व जबाव को मानने या नहीं मानने का कोई आदेश नहीं दिया है। आदेश नॉन स्पीकिंग है। अपीलांट निर्दोष है। आरोपित इन्द्राज के बाबत संबधित उपभोक्ता से पूछताछ कर जांच नहीं की है। उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री मिलना स्वीकार किया है। निरीक्षणकर्ता व अधीनस्थ अधिकारी को उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने राशन सामिग्री प्राप्त की है। उनका पुलिस में बयान भी हो चुका है व पुलिस ने अभी तक आरोप असत्य माना है। कानून का उद्देश्य है कि राशन सामिग्री अपभोक्ता को प्राप्त हो, जो कि उपभेक्ता को प्राप्त हो गई है इसलिये मशीन की खराबी के लिए डीलर को दोषी मानना गलत है। अपीलांट निर्दोष है इस व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं है। आई.डी विभाग की है व

पासवर्ड विभाग के पास गोपनीय रहता है। ऐसी सूरत में विभाग की आई.डी व पसावर्ड के बिना गलत अधिार कार्ड अंकित होना केवल यांत्रिक खराबी से ही संभव है और इसलिये सरकार ने मशीनें बदल दी हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 03.03.2017 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आज्ञा पारित की है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट के खिलाफ दो आरोप लगाये थे जो यांत्रिक मशीन के आधार पर बताये गये हैं इन दोनों आरोपों का समुचित उत्तर पेश किया था, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट द्वारा पेश किये गये जबाव पर गौर नहीं किया है व जबाव को मानने या नहीं मानने का कोई आदेश नहीं दिया है। आई.डी विभाग की है व पासवर्ड विभाग के पास गोपनीय रहता है। ऐसी सूरत में विभाग की आई.डी व पसावर्ड के बिना गलत आधार कार्ड अंकित होना केवल यांत्रिक खराबी से ही संभव है अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। दिनांक 03.03.2017 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर ने आधार कार्ड नम्बर 907188549708 का धारक के राशनकार्ड के अलावा कई अन्य उपभोक्ताओं के राशनकार्डों में उपयोग कर आधारकार्ड धारक की बायोमैट्रिक पहचान अंकित कर 72.00 क्विंटल गेंहू एवं 464 लीटर कैरोसीन तथा 36.10 किग्रा0 चीनी का कूटरचित वितरण पोस मशीन से दर्शाया जाकर दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ ( वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15 व

17 (ग) का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। अपीलांट अभिभाषक की लिखित बहस व रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 2,11,15 व 17 (ग),का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया ।

**(डॉ. आरुषी मलिक )**
**जिला कलक्टर**
**भरतपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official